तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 08/2023 टीपूदेवी बनाम बाबूराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.02.2025

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पूनड़
2. विप्रार्थीगण के नाम से सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये एक माह से अधिक समय हो चुका है तामिल पर्याप्त मानी जाती है बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 24.03.2023 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2023 को उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत किया था। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल पर जाने से न्यायालय में नियमित सुनवाई नहीं होने के कारण श्रीमान द्वारा अपीलांटस की अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। दिनांक 20.06.2023 को अपीलांट ने फोन पर अधिवक्ता से अपील की सुनवाई के बारे में जानकारी मांगी तब अधिवक्ता ने ऑनलाईन साईट पर अपील का स्टेट्स चैक किया तो उक्त अपील खारिज होने की जानकारी हुई। उक्त प्रकरण का न्यायिक रूप से गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद शांत हो एवं दोनों पक्ष न्यायालय के अंतिम निस्तारण अर्थात न्याय से संतुष्ट हो सके जिसकी पूर्ति हेतु भी उक्त अपील को पुनः बरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता की गलती या भूल की सजा निर्दोष पक्षकारों को नहीं दी जा सकती है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। अपीलांटस को अपने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु अवसर दिया जाना लाजमी है। अपीलांटस के अधिवक्ता की सजा अपीलांटस को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं पर करने की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बजाय गुणावगुण पर किया जाना विधि सम्मत है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत आवेदन को अन्दर मियाद सुमार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर 107/2022 पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इज लाश दिनांक 18.02.2025 को सुनाया गया।

18/2/2025

(नवनीत कुमार)

राजस्व अपील अधिकारी

बाड़मेर